न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2324 / 2026
(संबंधित फुलवारीशरीफ थाना कांड सं0–1158 / 2025)

Date	Order with signature	Office notes as to action taken
20.06.2026	आवेदकगण अभियुक्तगण **1. अलख निरंजन,** पिता–स्व0 सिद्धनाथ बदरी **2. द्रौपदी देवी**, पति–अलख निरंजन **3. सुमित राज उर्फ सुमित**, पिता–अलख निरंजन सभी पता–गोनपुर, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जो फुलवारीशरीफ थाना कांड सं0–1158 / 2025, दिनांक 18.07.2025, अपराध अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 74, 303(2), 352, 351(2), 351(3), एवं 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज है। आवेदकगण अभियुक्तगण की ओर से गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनफ आलम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित करते हुए कथन किया गया कि आवेदकगण अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप जमानतीय प्रकृति के हैं सिवाय धारा– 74, 303(2) भा0न्या0सं0। आवेदकगण अभियुक्तगण का कथन है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और जमीनी विवाद होने के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदकगण अभियुक्तगण का कथन है कि एफ.आई.आर. के अनुसार घटना 13.07.2025 की शाम 4:30 बजे की है जबकि प्राथमिकी पॉच दिन बाद दिनांक 18.07.2025 को दर्ज कराई गई है। आवेदकगण अभियुक्तगण का कथन है कि यह केस फुलवारीशरीफ थाना कांड सं0–1148 / 2025 का काउॅटर केस है जो आवेदिका सं0–2 द्वारा दर्ज कराई गई है। आवेदकगण अभियुक्तगण का कथन है कि सह अभियुक्त विक्रम राज को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त आधार पर आवेदकगण अभियुक्तगण न्यायालय से अग्रिम जमानत की प्रार्थना करता है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सूचिका स्वीटी देवी द्वारा थानाप्रभारी, फुलवारीशरीफ थाना के समक्ष एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया गया कि दिनांक 13.07.2025 को समय 04:30 बजे 7–8 बच्चे गली में खेल रहे थे। तभी समय सूचिका का बेटा डुगु कुमार की गेंद अलख निरंजन के दरवाजे पर चले गये और जब उसका बेटा बॉल लेने गया तो **द्रौपदी देवी, अलख निरंजन, मनीषा देवी,** सोनू कुमार और सुमित कुमार सभी मिलकर सूचिका के बेटे को लात घूंसे से मारने लगे और जब उनका बेटा चिल्लाया और वह वहॉ गयी तो अभियुक्त अलख निरंजन ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गलत नियत से उसकी साड़ी को खींच दिया तथा अभियुक्त सोनू कुमार ने सूचिका के गले से 10 ग्राम सोने का चेन छीन लिया एवं मनीषा देवी उसका बाल पकड़कर पीठ पर तीन–चार मुक्का मारी और जब सूचिका भागने का प्रयास की तो	

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2324/2026
(संबंधित फुलवारीशरीफ थाना कांड सं0–1158/2025)

लगातार **20.06.2026**	अभियुक्त सुमित कुमार गलत नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाने लगा। सूचिका के चिल्लाने पर अगल–बगल के लोग पहुँचे जिसे उसका जान बचा। सूचिका का आगे कहना है कि दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ सोनू कुमार एवं सुमित कुमार रात्री 11 बजे घर आकर पिस्तौल दिखाकर धमकी दिया कि थाना में केस करने जाओगी तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा–5 एवं 6 में साक्षी आवेदकगण अभियुक्तगण पर सूचिका से मारपीट करने का आरोप है परन्तु इस संबंध में कांड दैनिकी में कोई सीधा और प्रत्यक्ष सामग्री उपलब्ध नहीं है। आवेदिक अभियुक्त सं0–2 द्रौपदी देवी द्वारा सूचक के ससुर के विरूद्ध दिनांक 13.07.2025 को एक केस फुलवारीशरीफ थाना कांड सं0–1148/2025, दिनांक 16.07.2025, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 318(1), 74, 76, 352, 351(2)(3), 3(5) भा0न्या0सं0 किया गया था। आवेदक का यह भी कहना है कि सूचिका के परिवार के साथ उसके परिवार का जमीनी विवाद है। इस केस में सह अभियुक्त विक्रम राज को अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3519/2025 द्वारा जमानत की सुविधा दिनांक 17.12.2025 को प्रदान की गई है। उपरोक्त परिस्थिति में आवेदकगण अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदकगण अभियुक्तगण **1. अलख निरंजन 2. द्रौपदी देवी 3. सुमित राज उर्फ सुमित** द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर गिरफ्तार होने या आत्मसमर्पण करने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टी पर दस हजार रूपये के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा–482(2) भा0ना0सु0सं0 के शर्तों के अनुरूप अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित Sd/- अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना	